शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 8 – 15 जनवरी 2024 मूल्य पांच रूपये

सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिये क्यों बाध्य है

विद्युत कंपनियों के 700 करोड़ से उठी चर्चा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। सरकार को हर माह कर्ज लेने की बाध्यता हो गयी है। हर व्यक्ति पर एक लाख का कर्ज बोझ है। सरकार भी प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दे चुकी है। इसके आसार एचआरटीसी और राज्य बिजली बोर्ड में पिछले दिनों उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिल पाने से सामने भी आने लगे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और आदारों तथा विभागों में भी ऐसी स्थिति आ जाये। ऐसे में यह बड़ा सवाल उभरता है कि इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है? जब सरकारें वर्तमान के संकट से निपटने के लिये भविष्य की विकास योजनाओं के नाम पर अगले 5 वर्षो, 10 वर्षो के लिए कर्ज ले लेती है तो वह भविष्य के संकट को भी और गहरा कर जाती है। यही कारण है कि पिछले करीब तीन दशकों से सरकार का राजस्व और वित्तीय घाटा लगातार हर वर्ष बढ़ता है। इसी स्थिति का परिणाम है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। वित्तीय प्रबंधन केवल कर्ज प्रबंधन बन कर रह गया है। सत्ता में बने रहने के लिये कुछ मुफ्ती योजनाओं की घोषणा को विकास का बड़ा मानक मान लिया गया है। इस चलन में भ्रष्टाचार को संरक्षण देना सरकारों की संस्कृति बनती जा रही है। इसभ संस्कृति के तहत पिछली जयराम सरकार ने अपनी ही पार्टी द्वारा सौंपे आरोप पत्रों पर कोई कारवाई नहीं की। अब इसी परम्परा को निभाते हुये सुक्खु सरकार ने भी कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान जारी किये गये पार्टी के आरोप पत्र को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। जिन अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस नेता सदन के पटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग करते थे आज सरकार में आने पर अपने ही वक्तव्यों से आंखें मोड चुके हैं। लेकिन जनता कब इन वक्तव्यों की याद दिलाकर इसका हिसाब मांग लेगी यह कोई दूर की बात नहीं लग रही है। अब तक सुक्खु सरकार ही कितना कर्ज ले चुकी है और यह कर्ज किन विकास कार्यो पर खर्च हुआ है तथा इससे राजस्व में कितनी बढ़ौतरी हुई है आने वाले दिनों का यह बड़ा सवाल होने जा रहा है। क्योंकि इतने कर्ज के बाद भी सरकार कर्मचारियों के बकाया का भुगतान नहीं कर पायी है। किसानों बागवानों का बकाया नहीं दिया जा सका है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो सरकार से हिसाब मांगेंगे। जिस प्रदेश को बिजली राज्य प्रचारित करके यहां उद्योगों को आमत्रित किया गया और वित्त निगम जैसा संस्थान उनकी सहायता के लिये स्थापित किया गया वह निगम आज व्यवहारिक रूप से बन्द है और किसी ने भी उसके कारणों को जानने और सार्वजनिक करने का साहस नहीं किया है। आज सरकार सोलर परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारों को रोजगार देने की एक बड़ी योजना का सपना पिछले एक वर्ष से दिखा रही है। यह योजना अभी तक अधिसूचित नहीं हो पायी है। अब इस योजना पर बिजली बोर्ड श्रम और रोजगार विभाग तथा हिम ऊर्जा एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें परियोजना लगाने वाले युवाओं को अपनी जमीन और योजना लागत का 10% देना होगा जिसके बदले में जमीन के आकार के अनुपात में बीस हजार से लेकर एक लाख तक प्रतिमाह इन युवाओं को सरकार देगी। योजना लागत का 60% कर्ज इन्हें बिजली बोर्ड उपलब्ध करवाएगा तथा 30% सब्सिडी सरकार देगी। इस योजना की व्यवहारिकता पर विशेषज्ञ स्वाल उठाने लग गये हैं। क्योंकि इसके लिये सरकार या इन संबंधित अदारों ने कोई जमीनी सर्वे नहीं किया है कि प्रदेश के कौन से जिलों में 8 से 10 घंटे तक धूप उपलब्ध है? कितने 19 से 45 वर्ष के युवा हैं जिनके अपने नाम पर जमीन है। फिर 100 किलोवाट की योजना की आर्थिकी क्या है जिसमें युवाओं को बीस हजार प्रतिमाह मिल पायेगे। इस समय बिजली बोर्ड की जो वित्तीय स्थिति चल रही है उसके मुताबिक हजार करोड़ से अधिक की देनदारी बोर्ड सरकार पर उन कंपनियों की खड़ी हो गयी है जिन्हें परियोजनाएं तो आवंटित हुई लेकिन सरकारी तंत्र का सहयोग न मिलने से वह बड़ी परियोजनाएं नहीं लगा पायी। यह परियोजनाएं रद्द करनी पड़ी और कंपनियां अदालत में चली गयी। अदालतों में सरकार बोर्ड के खिलाफ फैसला आये और कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने के आदेश हो गये। पिछले एक वर्ष में ही शायद 13 कंपनियों के हक में फैसला आये हैं और बिजली बोर्ड को 700 करोड़ इन्हें देने हैं। अपील करने के लिये भी अदालत में यह पैसा जमा करवाना पड़ेगा जो खजाना खाली होने के कारण अलग समस्या बन गया है। लेकिन इस सारी स्थिति के लिए कौन से नौकरशाह और राजनेता जिम्मेदार रहे हैं यह चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिये क्यों बाध्य है यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हिमाचल को भेजी 1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ब्यानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये मेरे नाम का सहारा ले रहे हैं जबकि सबको पता है कि आपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ मोदी सरकार डट कर खड़ी थी और हरसंभव सहायता देवभूमि को दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव हिमाचल को प्राथमिकता देते हुये इसे अपना दूसरा घर माना है। आपदा के समय उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात कर हर स्थिति का जायजा लिया और सभी जरूरी मदद सुनिश्चित कराई मगर आपदा में भी राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है और मुख्यमंत्री के हालिया ब्यान इसी दुर्भावना से ग्रसित हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आपदा के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर प्रदेश के लिये 16,206 हज़ार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंजूर करवाई। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार ने पहले दो किस्तों में 180 – 180 करोड़ दिये, फिर सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 400 करोड़ दिये। इसके बाद फिर अलग से 189 करोड़ भेजे। 20 अगस्त को फिर 200 करोड़ और 12 दिसम्बर को लगभग 633 करोड़ भेजे, कुल मिलाकर 1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को भेजी जा चुकी है। केंद्र से मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस की गारंटियां तो फेल हुई साथ ही आपदा के लिए केंद्र से आये पैसे से राहत पहुंचाने में भी सुक्खू सरकार ने भाई – भतीजावाद किया है। आम जनता को किनारे करके पैसे बांटने व तिरपाल लगाने में भी अपने चहेतों को प्राथमिकता सुक्खू सरकार ने दी ऐसे गंभीर आरोप उन पर हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल में आपदा की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एन डी आर एफ की 13 टीमें तैनात की गयी।उन्होने कहा कि मैने पूरे क्षेत्र का दौरा कर राहत व बचाव कार्यो को आखिरी पीड़ित तक सुनिश्चित कराया। पटवारियों से टाइम बाउंड रिपोर्ट मंगवा कर डीसी को तुरन्त पैसे रिलीज करने का निर्देश दिये। किसी के भी घर को खतरा पैदा हो रहा था तो वहां सुरक्षा दीवार लगाने के लिए पैसे दिए और लगातार बैठकें की ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई कमी न रह सके मगर मुख्यमंत्री सिर्फ़ राजनैतिक लाभ के लिये तथ्यहीन बातें कर रहे हैं।

राज्यपाल ने सेना दिवस पर आर्मी मेले की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर शिमला के अनाडेल

में 'आर्मी मेले' का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर है जब हम भारतीय सेना के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हैं। यह उन बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने का दिन है जो साहस, समर्पण और निःस्वार्थता के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर सैनिक राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। वह बाहरी खतरों से राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से लेकर देश के भीतर आपदा राहत कार्यों का भी बखूबी निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारे लिए सशस्त्र बलों द्वारा किये गये बलिदानों की सराहना और उनके योगदान के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा और युवा पीढ़ी में भारतीय सेना में शामिल होने के लिये और अधिक उत्साह पैदा होगा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सेना के जवानों को सम्मानित भी किया।

आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) शिमला के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इससे पहले, राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट की कलारीपयट्टू टीम के मार्शल आर्ट प्रदर्शन, आर्मी डॉग स्क्वाड शो, गतका टीम और पाइप बैंड का प्रदर्शन भी देखा।

इसके उपरांत राज्यपाल ने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का भी दौरा किया।

इस अवसर पर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य, एनसीसी कैडेट और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर उन्होंने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थाई तौर पर स्थानीय लोगों को बसाने तथा इन क्षेत्रों

में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं सृजित करने का विशेष तौर पर आग्रह किया ताकि इन सुविधाओं का लाभ स्थानीय लोगों को भी प्राप्त हो सके। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती और नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियानों के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया।

राज्यपाल ने कहा कि गत वर्ष उन्होंने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत किन्नौर जिला के विभिन्न गांवों, सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की विभिन्न चौकियों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जिला में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों से स्थानीय लोगों का पलायन रोकने के दृष्टिगत अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने इन्नर व्हील संस्था के प्रयासों को सराहा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर, शिमला से इन्नर व्हील क्लब की स्थापना

के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इन्नर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 द्वारा आयोजित कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह में सम्पन्न होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्नर व्हील क्लब सामाजिक सरोकार से जुड़े अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। उन्होंने इस संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था 100 वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा एवं रितेश कपरेट, इन्नर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सीमा कपूर और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रान्ति की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मकर संक्रान्ति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह शुभ अवसर राज्य के लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व जीवन में नवीन ऊर्जा के संचार का भी प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव हमें अपने प्रियजनों एवं मित्रों के साथ खुशियां बांटने का अवसर प्रदान करता है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने कामना की कि उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए।

एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों के कल्याण के लिए कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन परियोजना निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इसमें एचआईवी के साथ जीवन जी रहे

लोगों के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय पर चर्चा की गई। राजीव कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के माध्यम से हिमाचल में एचआईवी के साथ जी रहे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एड्स पीड़ित लोगों को समय पर मुफ्त व समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों व अनाथों को शिक्षा एवं जीवनयापन सम्बंधी अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से आग्रह किया कि निगम एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी विचार करे।

कार्यशाला में उच्च शिक्षा, शहरी विकास, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य आजीविका मिशन, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मिल्ड फैड एवं हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण सहित लगभग 10 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान एचआईवी के साथ जी रहे व्यक्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। विभागीय प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि उन्हें अपनी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विकास गुप्ता सहित हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी एवं पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

29 और 30 जनवरी को आयोजित होगी विधायक प्राथमिकता बैठक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय बैठक का आयोजन 29 और 30 जनवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया जाएगा।

29 जनवरी, 2024 को 10.30 बजे से 1.30 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सोलन तथा 2 बजे से 5 बजे तक सिरमौर, चम्बा, बिलासपुर और लाहौल-स्पिति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

30 जनवरी, 2024 को 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर व कुल्लू जिलों तथा 2 से 5 बजे तक शिमला और मण्डी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2024-25 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठकों में विधायकों से वर्ष 2024-25 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी।

धर्मशाला वन वृत्त में ट्रेकिंग और प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट

शिमला/शैल। वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुसार धर्मशाला वन वृत्त ने त्रिउंड और अन्य ट्रेकिंग मार्गों के लिए प्रवेश शुल्क और टेंटिंग शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा प्रवेश शुल्क दो सौ रुपये से कम कर 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया गया है। जबकि दो व्यक्तियों के लिए प्रवेश शुल्क सहित टेंटिंग शुल्क 1100 रुपये से घटाकर 550 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां नियम, 2021 के तहत पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त विविध साहसिक गतिविधियां संचालकों के पंजीकृत स्थानीय गाइडों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पंजीकृत गाइडों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी स्वास्थ्य सूचना प्रबन्धन प्रणाली: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य सूचना प्रबन्धन प्रणाली समयबद्ध शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा

कि आरम्भिक स्तर पर यह प्रणाली प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी, जिससे चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के सम्पूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सूचना प्रबन्धन प्रणाली इस दिशा में एक मील पत्थर साबित होगी। इससे रोगियों को पर्ची तथा अन्य मेडिकल टेस्ट से संबंधित दस्तावेज या उनकी छायाप्रतियां साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उन्हें निर्बाध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि चिकित्सक भी एक क्लिक पर रोगी का मोबाइल नम्बर अंकित करते ही उसके स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और अभी तक 73 प्रतिशत कार्ड बनाए जा चुके हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और अभी तक ऐसे 35 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान राज्य में स्थापित हो चुके हैं जहां 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। उन्होंने शेष 33 संस्थानों में भी शीघ्र ही इन विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियेलिटी चमियाणा शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू करने के लिए जारी प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने यह सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को इसका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल ढांचे के आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण से गुणात्मक सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा और निदेशक स्वास्थ्य डॉ. गोपाल बेरी भी उपस्थित थे।

राज्य सहकारी बैंक के उपभोक्ताओं के लिए बनेगी वन टाइम सेटलमेंट नीति:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में बैंक के अध्यक्ष

देवेन्द्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक विस्तृत वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हजारों किसानों, बागवानों और बैंक से जुड़े अन्य कर्जदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

वन टाइम सेटलमेंट नीति बैंक के ऋणधारकों को रियायती दर पर अपने बकाया का निपटान करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे कानूनी कारवाई से बचा जा सकेगा और सफल निपटान के बाद उनके क्रेडिट स्कोर में सुधार होगा। इसके साथ ही इससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति करने, ऋण प्राप्ति और बैंक के समग्र वित्तीय सुधार होने से बैंक को भी लाभ मिलेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट की इस नीति से 5 हज़ार से अधिक लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी अपने उपभोक्ताओं के हित में ऐसी वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने और लागू करने के लिए समान निर्देश जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में दी विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने धनेटा में 7.60 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय

धनेटा के बी-ब्लॉक के भवन के साथ-साथ धनेटा में 2.29 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति वीड्ब्ल्यूएससी भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 1.21 करोड़ रुपये की लागत से बने उठाऊ पेयजल परियोजना जनसूह का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

धनेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धनेटा कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नादौन विधानसभा क्षेत्र के खरीड़ी में इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार से कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तथा एक वर्ष में ही 20 प्रतिशत का सुधार आया है।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और पेपर बेचे गए। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर इसके स्थान पर राज्य चयन आयोग गठित किया है, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 भर्तियां करने जा रही है और जेओए आईटी परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। राज्य ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा तथा फैसला राज्य सरकार के हक में आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए आगामी बजट में प्राकृतिक खेती पर आधारित निश्चित आय प्रदान करने वाली योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूध खरीद के दाम में छह रुपये प्रति लीटर की ऐतिहासिक बढ़ौतरी की है।

उन्होंने कहा कि अगले बजट में विधवाओं और एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने के लिए राज्य सरकार एक योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे में ऐतिहासिक बढ़ौतरी कर पूरे देश में एक मिसाल पेश की है।

नादौन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नादौन विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे हिमाचल का एक समान विकास हो रहा है। इससे पहले, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, राज्य कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, राज्य कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, प्रेम कौशल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने नादौन पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

जनता तक पहुंचने का साधन बनेगा 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता मे 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के संबंध में सभी जिला उपायुक्तों के लिए वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 17 जनवरी, 2024 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ज़िला हमीरपुर के नादौन के गलोड़ गांव में औपचारिक तौर पर आरम्भ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जन समस्याएं सुनी जाएंगी।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत 17 जनवरी 2024 को उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिला ऊना के हरोली के दुलेहड़, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जिला चंबा के भटियात के कुबी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार जिला कांगड़ा के ज्वाली के पलोड़ा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल जिला सोलन के नौणी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जिला सिरमौर के शिलाई के बकरास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जिला मंडी के बल्ह के छातड़ू, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जिला शिमला के चोपाल के बमटा, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जिला बिलासपुर के घुमारवीं के कसारू, आयुष मंत्री यादवेन्द्र गोमा जिला कुल्लू के बजौरा, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार जिला लाहौल-स्पीति के ताबो में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सभी विभागों की प्रदर्शनियां तथा स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओ.सी. शर्मा ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 17 जनवरी को किन्नौर के चगांव में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की विभिन्न उपलब्धियों से संबंधित प्रकाशित सामग्री तथा नाटय दलों के माध्यम से जनता को सरकार की योजनाओं व नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने शिमला से बैठक में भाग लिया।

तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए प्रवीण सिंह को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रवीण सिंह को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली में प्रदान किया गया। कांगड़ा जिला से संबंधित प्रवीण सिंह बीएसएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं।

प्रवीण सिंह माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा को दो बार फतह करने के साथ-साथ 20 से अधिक हिमालयी चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेलों में प्रवीण की उल्लेखनीय उपलब्धियां दूसरे लोगों के लिए प्रेरक हैं और सभी को कड़ी मेहनत तथा समर्पण के बल पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का इतिहास सैकड़ो वर्षो का रहा है। इस विवाद के पन्ने अब पलटने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसमें हजारों लोगों का बलिदान दर्ज है। बाबरी मस्जिद गिराई गयी थी तब भी कई लोगों की शहादत हुई है। भाजपा की चार राज्यों की सरकारें इस आन्दोलन की भेंट चढ़ी है। यह सही है कि इस आन्दोलन का राजनीतिक लाभ केवल भाजपा को मिला है। क्योंकि इस आंदोलन में संघ और उसके अनुषंगिक संगठनों की भूमिका अग्रणी रही है। 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं और हिन्दू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का निर्णय लिया था। 1989 के प्रयाग कुंभ मेले के दौरान मन्दिर निर्माण के लिये गांव-गांव शिलापूजन करवाने का फैसला लिया और इसके बाद यह एक आन्दोलन बन गया। सौ वर्षो से अधिक तक यह मामला अदालतों में रहा। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब अदालती लड़ाई का अन्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही राम मन्दिर निर्माण ट्रस्ट का 2020 में गठन हुआ।

राम मन्दिर आन्दोलन में देश के साधु संतों और हिन्दू नेताओं की अग्रिम भूमिका रही है। कांग्रेस और भाजपा सभी सरकारों का इसमें योगदान रहा है। क्योंकि भगवान राम सबके पूज्य हैं। बहुत लोगों ने इसके निर्माण के लिये यथासंभव आर्थिक योगदान भी किया है। मन्दिर के निर्माण के बाद इसमें मूर्ति की स्थापना और मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा इसके अभिन्न अंग है। लेकिन इस समय जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर मन्दिर ट्रस्ट के साथ बहुत लोगों का गंभीर वैचारिक मतभेदों पर गया है क्योंकि मन्दिर का निर्माण इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो पायेगा। जब तक मन्दिर पर गुंबद और ध्वजा की स्थापना न हो जाये तब तक मन्दिर के निर्माण को पूरा नहीं माना जाता। अधूरे मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा का हमारे धर्म ग्रंथो में कोई प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि गुंबद और ध्वजा के निर्माण के लिये तो मन्दिर पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन मूर्ति स्थापना के बाद ईश्वर के सिर पर पैर नहीं रखे जाते। इसी अधूरे निर्माण पर चारों शंकराचार्यो का विरोध है और शंकराचार्यो से बड़ा कोई धर्मगुरु नहीं है।

प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अग्रणी है। इस अग्रणी भूमिका को राजनीतिक तराजू में तोल कर देखा जा रहा है। इस निर्माण का श्रेय वह स्वयं लेना चाहते हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों में यह उनका सबसे बड़ा चुनावी हथियार होगा। प्रधानमंत्री इस आयोजन के अग्रणी पुरुष होंगे इसीलिये विभिन्न राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होने को लेकर आन्तरिक विवाद उभरने लग पड़े हैं। यह विवाद ही इस आयोजन का प्रसाद माना जा रहा है। लेकिन जिस स्तर पर शंकराचार्यो ने इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। साधु महात्माओं का एक वर्ग इसके विरोध में खड़ा हो गया है। इस विरोध से यह सवाल खड़ा हो गया है की जो प्रधानमंत्री अधूरे मन्दिर की ही प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं उन्हें धर्म का संरक्षक कैसे मान लिया जाये। इस अधूरे मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सवाल उठेंगे वह संघ भाजपा के लिये नुकसानदेह होंगे यह तय है।

बहुसंख्यक हिन्दू भारतीय मुस्लिम समाज की जटिलता को समझने की कोशिश करें

गौतम चौधरी

बात अभी हाल फिलहाल की ही है। दरअसल, मणिपाल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में एक प्राध्यापक ने एक छात्र को 26/11 के कुख्यात आतंकवादी के नाम से बुलया। इस पर वह छात्र भड़क गया और प्राध्यापक को डांट लगा दी। किसी ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो रिकार्ड कर सोशल मीडिया पर चस्पा दिया। देखते ही देखते वीडियो सुर्खियां बटोरने लगा और वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि उस संवाद को लाखों की संख्या में लोगों ने देखा और सुना। सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले अपने अपने मंच पर इस पूरे प्रकरण की सकारात्मक चर्चा करते देखे जा रहे हैं।

उक्त वीडियो में छात्र अपने शिक्षक से यह कहते नजर आ रहा है कि सहपाठियों के सामने उसे इस प्रकार बुलाना या संबोधन ठीक नहीं है। सच पूछिये तो इस प्रकार की घटना खतरनाक है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को ऐसी संकीर्ण धारणा के नुकसान के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। ठीक है कि आजकल लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं लेकिन उन्हें समाज की संवेदनशीलता का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आम लोगों को शिक्षित करने के जरूरत है। इसके साथ ही वर्तमान संकट से बचाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

दूसरी बात, इस प्रकरण ने साबित कर दिया है, हमारा भारतीय समाज बुरी तरह असहिष्णु होता जा रहा है। समाज कई भागों में विभाजित भी हो गया है और उस विभाजन की खाई दिन व दिन चौड़ी होती जा रही है। इसके लिए हमें अपने शिक्षा में सुधार की जरूरत है। हमें बहुत जल्द शिक्षा के उस पद्धति का विकास करना होगा जिसमें आपसी गतिरोध नहीं के बराबर हो।

उस सिद्धांत पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जो उस समय प्रगति और सद्भाव का स्तंभ बन गया जब भारत एक देश के रूप में उभर रहा था। इस बात की आवश्यकता बढ़ रही है कि लोगों को उस विभाजनकारी आख्यानों के बारे में जागरूक किया जाए, जो भारत के मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में विलग कर रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सांप्रदायिक विभाजन, विभाजनकारी ताकतों की जीत है। यही नहीं यह सामान्य समाज के लोगों के दिमाग को अपराधी बनाता है। साथ ही एक-दूसरे के प्रति नकारात्मकता पैदा करता है। इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है।

हमारे दौर के लिए यह भी जरूरी है कि किसी कीमत पर समाज में नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा न हो। इसके लिए सिविल सोसाइटी को जागरूक करना होगा और समावेशी व बहुलतावादी सोच से उन्हें लैस करना पड़ेगा। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि मुसलमान अपने साथ कितनी चिंता लेकर चल रहे हैं। कई बार सार्वजनिक समारोहों, स्कूलों, कॉलेजों और राजनीतिक रैलियों में उन्हें अजीब नजरों से देखा जाता है।

मुसलमानों के बारे में गलत सूचना है कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है, राजनीतिक दर्शन अलग है और आकांक्षाएं अलग हैं। यह निहायत गलत अवधारणा है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुसलमान एक हाशिये पर रहने वाला समुदाय है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाला है और शैक्षिक रूप से कमजोर है। यही नहीं कुछ नकारात्मक और बाहरी शक्तियों द्वारा प्रेरित नेतृत्व ने मुस्लिम समाज में एक प्रकार का डर भी पैदा कर दिया है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है। इस जटिल सामाजिक मनोविज्ञान को समझना होगा। यह जितना मुसलमानों के लिए जरूरी है उतना ही बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए भी आवश्यक है।

सरकारी एजेंसियों को शामिल करके सुधारात्मक उपाय अपनाना समय की मांग है। मुसलमानों के बारे में नफरत और प्रतिशोध पूर्ण व्याख्यानों की निंदा करके विभाजनकारी आख्यानों को ठीक किया जा सकता है। शिक्षा, सहिष्णुता और सामाजिक समानता के संदेश को फैलाना जरूरी है। साथ ही अनुकूल माहौल बनाने की भी जरूरत है। इसके लिए हम कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा होगा यदि विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों को विभाजनकारी राजनीति के नुकसान के बारे में बताया जाए। इसके लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह भी जरूरी है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदाय एक-दूसरे को दुश्मन न समझ कर भागीदार के रूप में देखे। आम लोगों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी का अभाव है। भारतीय मुस्लिम समाज आंतरिक रूप से बदल रहा है और नया आकार ग्रहण कर रहा है। इसके लिए बहुसंख्यकों को भी तैयार रहना चाहिए। आम बहुसंख्यक समाज भी मुस्लिम समाज के बारे में नकारात्मक लक्षणों से जोड़ने वाली कहानियों से तंग आ चुका है। बहुसंख्यक समाज विगत कुछ वर्षो में जिस प्रकार असहिष्णु हुआ है, वह भारतीय समाज की विशेषता कभी नहीं रही है। इसलिए मुसलमानों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की जरूरत है।

मुसलमानों में सद्दाम और कलाम दोनों हैं। बहुसंख्यकों को यह समझना होगा कि उसके लिए जरूरी कौन है। बगल का देश जो हमारा दुश्मन है और इस्लाम के नाम पर बना, परेशानी में है। वहां के लोग यह सोचने लगे हैं कि इस्लाम का चरमपंथ पश्चिमी साजिश का नतीजा है। इसलिए अब पाकिस्तानी आवाम भी पश्चिम नहीं पूर्व की ओर देखने को बाध्य हो गया है। इसलिए हम मुसलमानों को समझने की कोशिश करें। इतिहास की नकारात्मक व्याख्या कर वर्तमान और भविष्य को खराब करने से बढ़िया है, अनेकांतवाद व श्यादवाद के दृष्टिकोण को अपनाएं और शांति से अपना भविष्य गढ़े।

अपना विद्यालय: जन सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की अभिनव पहल

'समाज को लौटाने' की भावना से राजकीय स्कूलों को गोद ले सकेंगे जन-प्रतिनिधि व आम जन

शिमला। समाज के समावेशी विकास में मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत शैक्षणिक अधोसंरचना का निर्माण भी बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निरंतर अभिनव पहल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जन प्रतिनिधियों व कुशल पेशेवरों की साझेदारी से सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से 'अपना विद्यालय: हिमाचल स्कूल एडमिशन' कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसके तहत प्रदेशवासियों को राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अपना योगदान दे पाएंगे।

कार्यक्रम के तहत 'मेरा स्कूल-मेरा गौरव' अभियान प्रदेशवासियों एवं संस्थाओं को अपनी पसंद का स्कूल गोद लेने को प्रेरित करेगा। इन स्कूलों में वे छात्रों को सामाजिक सहायता कार्यों से जोड़ने और उनके लिए कैरियर परामर्श, विभिन्न परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं लेने, योग प्रशिक्षण सहित विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे।

'समाज को लौटाने' की इस पहल के माध्यम से राजकीय पाठशालाओं के लिए शैक्षिक सहायता टीम और गैर-शैक्षिक सहायता टीम स्थापित की जाएंगी। यह टीम भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित करने में बिना किसी वित्तीय या अन्य लाभ के सरकार का सहयोग करेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मचारियों, पेशेवरों, गृहणियों और समाज के अन्य व्यक्तियों को इन टीमों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शैक्षिक सहायता टीम में शामिल लोग पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी या अध्यापकों के अवकाश पर होने के चलते छात्रों को पढ़ाएंगे। साथ ही उनका कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन भी करेंगे।

वहीं गैर-शैक्षिक टीम छात्रों को खेल, कौशल, कला, चित्रकारी, संगीत, नाटय और नृत्य आदि में रूचि अनुसार प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा वह स्कूलों में अधोसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग, उत्कृष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन और मिड-डे मील कार्यक्रम में भी योगदान दे सकते हैं। इस तरह की प्रणाली के लिए स्कूलों में उपयुक्त निरीक्षण व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें सम्बंधित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा गणमान्य व्यक्तियों से भी प्रदेश में कहीं भी उनकी पसंद का कम से कम एक सरकारी स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक पैट्रन बनने का अनुरोध किया जाएगा। इनमें प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, श्रेणी-एक व दो के राजपत्रित अधिकारी, जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मण्डलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमण्डलाधिकारी ना., खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक इत्यादि शामिल हैं। यह कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसके संरक्षक बनेंगे। यह संरक्षक अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समिति को स्कूलों में वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

इसी प्रकार सचिवालय व निदेशालय में सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, उप-निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी एक-एक स्कूल गोद लेंगे और इसके प्रतिपालक मेंटर होंगे।

'अपना विद्यालय कार्यक्रम' के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध रहेगा ताकि जनता के प्रति जबावदेही सुनिश्चित की जा सके। इस पोर्टल से अ नलाइन व वास्तविक समय में आकलन, निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा मिलेगी।

इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक 'व्यवस्थित किशोर प्रबंधन एवं मूल्यवान संवाद' है, जिसके तहत विभिन्न विभाग मिलकर स्कूली छात्रों का व्यक्तिगत विकास व सशक्तिकरण करेंगे। इसमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा, अनुभव साझा करना, नशा निवारण एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, पोषण और कानूनी ज्ञान आदि शामिल हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने की यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश भर में गुणात्मक शिक्षा तंत्र स्थापित के उद्देश्य से की गई है। भारत में सरकारी शिक्षा प्रणाली का एक विस्तृत नेटवर्क है, जिसके तहत देश भर के 68 प्रतिशत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। हिमाचल में भी 55 प्रतिशत छात्र सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत सामाजिक सहभागिता से सरकारी स्कूलों में निश्चित ही आशातीत सुधार देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' की भावना के साथ कार्य कर रही है। अपना विद्यालय कार्यक्रम सामाजिक दायित्व के निर्वहन में तो सहायक होगा ही, इसमें जन सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में भी सतत सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।

'डीकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया' विषय पर जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित

शिमला। जलवायु सम्मेलन 2024, जिसका विषय था 'डीकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया' 12 जनवरी, 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं को जुटाने में निजी क्षेत्र, जलवायु टेक स्टार्टअप और संस्थागत निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था। इसका लक्ष्य सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत स्वतंत्र प्रदाता यूएनडीपी इंडिया और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल के सहयोग से किया गया था।

इस उद्घाटन सत्र में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इनमें पर्यावरण सचिव लीना नंदन, जी20 शेरपा अमिताभ कांत, आईएफएससीए के अध्यक्ष के राजारमण, अमेरिका के महावाणिज्य दूत माइक हैंकी और गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष व एमडी और गोदरेज एग्रोवेट के अध्यक्ष नादिर गोदरेज शामिल थे।

एमओईएफसीसी की सचिव लीना नंदन ने जलवायु परिवर्तन के कारण चरम घटनाओं के वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया और तत्काल कारवाई, योजना व धनराशि जुटाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम सहित मंत्रालय के कार्यो के बारे में जानकारी दी। सचिव ने आगे पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) का उल्लेख करते हुए कहा कि सूचना प्राप्त उपभोक्ता विकल्पों के लिए इकोमार्क अंकित करने की अवधारणा को फिर से शुरू किया गया है। नंदन ने बीमा व जोखिम को कम करने, जलवायु स्टार्टअप्स को मुख्यधारा में लाने और उन्हें उद्योग व व्यापार म डल के रूप में बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि जलवायु कारवाई के लिए बायोमास का उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं।

अमिताभ कांत ने भारत के औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास के उभरते मुद्दों को संबोधित करते हुए पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, विद्युत आधारित गतिशीलता, ऊर्जा दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था। उन्होंने लागत में बचत और बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। कांत ने उच्च जोखिम वाली जलवायु परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने में एमडीबी, आईएफआई एवं अन्य दानदाताओं की भूमिका पर जोर दिया और बेहतर रिटर्न एवं पर्याप्त पूंजी आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक व निजी कोष के संयोजन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हरित हाइड्रोजन और भंडारण प्रणाली की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

सम्मेलन ने 2070 तक नेट-शून्य हासिल करने के लिए भारत के रोडमैप को रेखांकित किया, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से न्यायसंगत और समावेशी तरीके से जलवायु प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हरित परिवर्तन निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने भारत में जलवायु वित्तपोषण के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डाला और सरकार, उद्यम पूंजीपतियों, कॉरपोरेट्स और उद्योग जगत के नेताओं की भूमिकाओं की खोज की। चर्चाएँ जलवायु-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर भी केंद्रित थीं, जिसमें विघटनकारी क्षमता वाले उभरते समाधानों पर जोर दिया गया।

सम्मेलन में स्थिरता से जुड़े फंड, जोखिम-साझाकरण सुविधाओं और रियायती वित्तपोषण पर भी प्रकाश डाला गया। कुल मिलाकर, इस आयोजन ने सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने, टिकाऊ एवं जलवायु-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाया।

दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाता है

नागरिकों को दुर्भावनापूर्ण क ल प्राप्त होने के बाद *401# के पश्चात अज्ञात मोबाइल नंबर डायल न करने की सलाह

शिमला। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दुर्भावनापूर्ण इनकमिंग कॉल रोकने तथा साइबर अपराधों और धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए सक्रिय अभियान चलाया है।

विभाग ने नागरिकों को ऐसी दुर्भावनापूर्ण इनकमिंग कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें *401 # और उसके बाद किसी अज्ञात मोबाइल नंबर को डायल करने के लिए कहा जाता है।

ऐसा करने से नागरिक के मोबाइल से किसी अज्ञात मोबाइल नंबर पर बेरोक-टोक कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है। इससे सभी इनकमिंग कॉल धोखेबाज व्यक्ति को मिलने लगते हैं और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है।

डीओटी ने घोटालेबाजों के काम करने के तरीके और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी है-

धोखेबाज व्यक्ति दूरसंचार ग्राहक को कॉल करता है और उनके दूरसंचार सेवा प्रदाता का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या तकनीकी सहायता कर्मचारी होने का ढोंग करता है।

धोखेबाज व्यक्ति ग्राहक से कहता है कि या तो उनके सिम कार्ड में कोई समस्या है या नेटवर्क या सेवा की गुणवत्ता से संबंधित कोई समस्या है और उस समस्या को ठीक करने के लिए उन्हें एक विशिष्ट कोड डायल करना होगा। यह कोड आमतौर पर *401# से शुरू होता है और उसके बाद एक मोबाइल नंबर होता है।

ग्राहक के ऐसा करने के बाद उनके मोबाइल फोन से बेरोकटोक कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है और उनके फोन पर आने वाली सभी कॉल आदि धोखेबाज व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती हैं।

इसके बाद धोखेबाज व्यद्रि सभी इनकमिंग कॉल प्राप्त करता है और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है।

डीओटी सक्रिय रूप से सभी उपयोगकर्ताओं को सूचित करता रहा है और नियमित रूप से दोहराता आया है कि अपनी सुरक्षा कैसे करें।

दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों को कभी भी *401# डायल करने के लिए नहीं कहते हैं।

अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग की जांच कर पता लगाएं कि कहीं कॉल फ़ॉरवर्डिंग तो चालू नहीं है तथा ऐसा होने पर तुरंत कॉल फारवर्डिंग को बंद करें। इस सुविधा का उपयोग केवल आवश्यकता होने पर ही करें।

ईईएमआईएस पोर्टल में 482 नियोक्ता पंजीकृत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अगस्त, 2023 को प्रदेश में रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली ईईएमआईएस पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इसके माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है।

सरकार की इस पहल को नियोक्ताओं का उत्साहजनक साथ मिल रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की आवश्यकता बारे जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6,093 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

जिला रोजगार अधिकारी को भी अब और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी प्रणाली के तहत समर्पित लॉग-इन आईडी के माध्यम से पंजीकरण और नियोक्ता अनुमोदन के लिए व्यापक अधिकार मिला हैं। उन्होंने कहा कि ईईएमआईएस पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए यूट्यूब वीडियो लिंक भी उपलब्ध है। पोर्टल से सीधे आवेदकों को एसएमएस सूचना की सुविधा से नियोक्ता भी लाभान्वित होता है। रोजगार के अवसर और पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में कुशल संचार की सुविधा भी इसमें मिली है।

इसके अलावा, यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा निर्बाध रूप से पंजीकरण की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार तीन प्रमुख योजनाओं कौशल विकास भत्ता योजना 2013, बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 और औद्योगिक कौशल विकास योजना 2018 का लाभ भी इसके माध्यम से उठा सकते हैं।

प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी जाँच सुविधाओं का मामला ठीक से हल नहीं हुआ और प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए कि स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को वह गंभीरता से सुलझाये। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार हिमकेयर में लोगों का इलाज होना भी सुनिश्चित करे क्योंकि भुगतान लंबित होने की वजह से लोगों के इलाज नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग स्वस्थ्य और खुशहाल रहें यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और पंद्रह हज़ार से ज्यादा लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गये हैं। घरों के निर्माण में सीमेंट महत्वपूर्ण सामान है। आपदा की मार झेल रहे लोगों पर सीमेंट के दाम की दोहरी मार पूरी तरह से अमानवीय है। उन्होंने कहा कि आपदा के पहले और आपदा के दौरान भी सरकार सीमेंट के दाम बढ़ा चुकी है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न सीमेंट के दाम बढ़े और न ही भवन निर्माण से जुड़े अन्य किसी प्रकार के समान के। नेता प्रतिपक्ष सरकार को आगाह करते हुए कहा कि वह जनविरोधी फ़ैसलों से बाज़ आये क्योंकि सत्ता में आने से पहले सरकार ने एक से बढ़कर एक वादे किये थे और अब सत्ता में आकर लोगों को परेशान करने वाले फ़ैसले नहीं ले सकती है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जो काम शुरू करते हैं वह समय के पहले ख़त्म भी करते हैं। वर्तमान में मुंबई में बना अटल सेतु भी इसका एक शानदार नमूना है। 21 किलोमीटर से भी लंबा अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल है जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने निराश्रित नक्षत्रा को भवन निर्माण के लिए तीन बिस्वा भूमि के दस्तावेज प्रदान किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर, शिमला में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत निराश्रित बेटी नक्षत्रा सिंह को

भवन निर्माण के लिए तीन बिस्वा जमीन के दस्तावेज प्रदान किए। नक्षत्रा सिंह वर्तमान में बिलासपुर जिला के सदर उपमंडल के तहत निदेशालय महिला एवं बाल विकास के वुमेन वर्किंग होस्टल में रह रही हैं। इस योजना के तहत भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने वाली वह जिला बिलासपुर की पहली लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री ने नक्षत्रा सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए उन्हें जीवन में निरन्तर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया।

इससे पूर्व, नक्षत्रा सिंह को स्टार्ट-अप के तहत लघु उद्योग के लिए भी दो लाख रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत प्रदान की गई है। इस स्टार्ट-अप में नक्षत्रा सिंह ने तीन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है।

इस अवसर पर बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत नक्षत्रा सिंह को घर बनाने के लिए धनराशि प्रदान करने सम्बंधी आवश्यक प्रक्रियाएं भी पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत जिला बिलासपुर में 18 से 27 वर्ष आयु के 128 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट पंजीकृत किए गए हैं, जिन्हें योजना के तहत विभिन्न लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी एन.जी.टी. का फैसला खारिज

शिमला/शैल। जयराम सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान को अब सुप्रीम से भी हरी झंडी मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एन.जी.टी. के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर ढाई मंजिल की शर्त लगा दी थी। इसके साथ ही शिमला के कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पूर्व शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लोगों को इन आदेशों की सख्त आवश्यकता थी। उन्होंने इस जनहित के फैसले के लिये उच्च न्यायालय का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। एनजीटी के इन आदेशों को खत्म करते हुये राज्य सरकार को नये प्लान के मुताबिक ही इस क्षेत्र में भवन निमार्ण की मंजूरी देने के आदेश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नवम्बर 2017 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने

2018-19 में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर एसएलपी की सुनवाई के दौरान योगेन्द्र मोहन सेन की शिकायत पर एनजीटी के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हाल ही में एक व्यापक फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और यहां के नैसर्गिक स्थल फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। प्रदेश में पूर्व में अनेक सुपर हिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।

नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगी। राज्य के इतिहास, संस्कृति, विरासत, परम्पराओं और अनछूए गंतव्य स्थलों को प्रसारित करने में भी यह नीति सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा जो फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और तीन कार्य दिवस में एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। यह सेल निर्माताओं को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेब पोर्टल से जुड़े केन्द्रीय कोष के रूप में भी कार्य करेगा।

फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट फिल्म शूटिंग स्थलों की पेशकश की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन उपकरणों को सूचीबद्ध कर निजी कंपनियों को प्रोडक्शन हाउस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कम से कम 50 प्रतिशत शूटिंग के साथ बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों और युवाओं को कलाकार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ललित कला और अन्य संबंधित पाठयक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

फिल्म फेस्टीवल, पुरस्कार और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के दृष्टिगत एक फिल्म विकास निधि भी निर्मित की जाएगी। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा इसका प्रबंधन हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद् के मार्गदर्शन में किया जाएगा। फिल्म विकास परिषद् राज्य में फिल्म क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति तैयार करेगी और आवश्यक अधोसंरचना के विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक सिफारिश भी करेगी। यह परिषद् फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी और समय-समय पर आवश्यक संशोधन के लिए संबंधी सुझाव भी देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई फिल्म नीति समग्र रूप से फिल्म निर्माताओं के लिए सुव्यवस्थित सुविधा के साथ-साथ स्थानीय प्रतिभाओं को समुचित अवसर तथा प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को फिल्म उद्योग के लिए एक जीवंत स्थल बनाने के दृष्टिगत यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आरटीआई अपीलकर्ता के लिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग विकल्प उपलब्ध

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की सचिव डॉ. सोनिया ठाकुर ने बताया कि आयोग द्वारा अपीलकर्ताओं की सुविधा के लिए हाइब्रिड मोड ऑफ हियरिंग की शुरुआत की गई है। अपीलकर्ताओं व शिकायतकर्ताओं को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दायर द्वितीय अपील व शिकायत की सुनवाई की दौरान अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग की कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प भी दिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा 26 दिसम्बर, 2023 से प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत अब अपीलकर्ताओं को भेजे जा रहे नोटिस में एक लिंक दिया जाता है जिसके माध्यम से अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। अपीलकर्ताओं को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे अपने ई-मेल आईडी आयोग को भेज कर ई-मेल पर भी इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपीलों की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति नगण्य रहती है। विभिन्न कारणों से अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते। यह सुविधा आरम्भ होने के पश्चात अपीलकर्ता अपील की सुनवाई के दौरान अपने स्थान से ही जुड़ पाएंगे जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जन सूचना अधिकारियों के ई-मेल पते भी एकत्रित किए गए हैं और 1 जनवरी, 2024 से सभी जन सूचना अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भी नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि उन्हें समय रहते नोटिस प्राप्त हो जायें और वे आयोग के समक्ष अपना उत्तर उचित समय पर प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि अपीलों व शिकायतों पर निर्णय में गति लाने के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर को सैद्धांतिक स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने तथा अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

में 'वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर' को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना – 2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना – 2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लम्बित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति – 2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।

बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50 – 50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम – 1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक – सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा।

निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और पलेसमेंट के लिये समर्पित सेल बनाने निर्देश:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश तकनीकी

विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने सभी तकनीकी संस्थानों की कार्य प्रणाली की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा – निर्देश दिए। उन्होंने एचपीकेबीएन को कार्यन्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाए तथा इसमें मशीनरी और उपकरणों के उत्तम उपयोग का समावेश भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

राजेश धर्माणी ने निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और पलेसमेंट के लिए एक समर्पित सेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवीन प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी पाठयक्रमों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी पाठयक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पेशेवर नैतिकता, वित्तीय और परियोजना प्रबंधन, रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदेशी भाषाएं, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे नए विषय आरम्भ किये जाएं। उन्होंने विभाग में तकनीकी उत्सव आयोजित करने के निर्देश भी दिये जिसमें सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान भाग लेंगे। उत्सव में प्रशिक्षुओं द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा।

निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद ने विभिन्न तकनीकी संस्थानों में चलाए जा रहे पाठयक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

विद्या समीक्षा केंद्र, हिमाचल प्रदेश
STARS समग्र शिक्षा

अब घर में पढ़ाई होगी और भी मज़ेदार

स्टोरीलैंड
Storyland
चैट करो, रोज़ एक नयी कहानी पढ़ो।

वीडियो लाइब्रेरी
Video Library bot
अपना अमूल्य समय बचायें, गणित और विज्ञान के अच्छे वीडियो चुटकियों में पाएं।

मैथ्स प्रैक्टिस
Maths Practice bot
अब हर दिन गणित का अभ्यास करें, और MATHS के मास्टर बनें।

रीड अलोंग by गूगल
Read Along by Google
चैट करो, ENGLISH पढ़ना सीखो।

SwiftChat
GET IT ON Google Play
आज ही GOOGLE PLAY STORE से SWIFTCHAT APP डाउनलोड करें

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

कुण्डू प्रकरण पर सरकार की विश्वसनीयता फिर सवालों में

शिमला/शैल। डी.जी.पी. कुण्डू के खिलाफ आये प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अब यह अपने पद पर बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच के लिये एस. आई.टी. गठित करने के निर्देश को बहाल रखा है और शिकायतकर्ता निशान्त शर्मा और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश को भी बहाल रखा है। कुण्डू इसी वर्ष अप्रैल में सेवानिवृत होने जा रहे हैं। इस परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कुण्डू के लिये एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस प्रकरण में आये उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने कुछ ऐसे बुनियादी सवाल सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर खड़े कर दिये हैं जिनका परिणाम दूरगामी होगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कुण्डू को अपने पद से हटाने के उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति जताई है। कुण्डू ने सर्वोच्च न्यायालय में एस.पी. शिमला की रिपोर्ट की निष्पक्षता पर शिमला ब्लास्ट प्रकरण में आयी उनकी रिपोर्ट पर उठे सवालों के संद्धर्भ में प्रश्न उठाये हैं। इस प्रकरण में एस.आई.टी कब गठित होती है और उसकी जांच रिपोर्ट कब आती है यह सब आने वाला समय ही बतायेगा।

इस प्रकरण में सरकार की कार्यशैली पर जो सवाल उठते हैं वह आम आदमी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि निशान्त शर्मा की शिकायत पर कोई भी जांच होने से पहले ही उसके खिलाफ कुण्डू एक एफ.आई.आर. दर्ज करवा देते हैं और उसके होटल को निगरानी पर डाल देते हैं। जिन व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ निशान्त शर्मा की शिकायत है उन्हीं के साथ डी.जी.पी. की लम्बी बात होना उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर आ चुका है और इस तथ्यात्मक रिकॉर्ड पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। यह टिप्पणी न किया जाना उच्च न्यायालय में आये रिकॉर्ड की प्रामाणिकता पर भी कोई सवाल खड़े नहीं करता है क्योंकि उसकी सत्यता के आगे जांच में परखी जायेगी। लेकिन इस प्रकरण में जिस तरह से सवाल सरकार की निष्क्रियता और धर्मशाला पुलिस की कार्यशाली पर उठे हैं उससे पूरे तंत्र की विश्वसनीयता प्रश्नित हो गयी है।

उच्च न्यायालय ने जब डी.जी.पी. को हटाने के पहली बार निर्देश दिये तो सरकार ने उस पर अमल करते हुये उन्हें तो प्रधान सचिव आयुष तैनात कर दिया लेकिन एस.पी. कांगड़ा को लेकर सरकार चुप रही। जब उच्च न्यायालय ने दूसरी बार फैसले में रिकाल याचिका को अस्वीकार कर दिया तब भी एस.पी. को लेकर सरकार की ओर से कोई कारवाई सामने नहीं आयी। फिर जब कुण्डू उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय गये तो शायद वहां पर सरकार का पक्ष रखने के लिये कोई उपलब्ध ही नहीं था। सरकार के ऐसे आचरण से क्या यह सन्देश नहीं जाता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता अधिकारी हैं न की आम आदमी।

क्या अवैध निर्माण के आरापों में घिरे भवन में सरकारी कार्यालय हो सकता है

- नगर निगम द्वारा दी गयी जानकारी से उठी चर्चा
- नगर निगम और सरकार दोनों की कार्यप्रणाली सवालों में

शिमला/शैल। क्या किसी ऐसे भवन में सरकारी कार्यालय हो सकता है जिसके निर्माण पर अवैधता के आरोप लगे हों और नगर निगम ने दो मंजिलों को गिराने का नोटिस जारी किया हो यह स्थिति लोअर पंथाघाटी स्थित हरि विश्राम भवन की है। जिसमें फूड कमिश्न का कार्यालय कार्यरत है। इस भवन के बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने नगर निगम से इसके मालिक और क्या इस भवन का नक्शा आवासीय उद्देश्य के लिये पारित है या व्यावसायिक के लिये 18-10-2023 को मांगी गयी सूचना का 200 पन्नों से अधिक का जवाब 10-01-2024 को प्राप्त हुआ है। इस जवाब के मुताबिक इसके मालिक प्रवीण गुप्ता और रचना गुप्ता हैं। प्रवीण गुप्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मुख्य अभियन्ता है और रचना गुप्ता प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य हैं। रचना गुप्ता के पास शायद सरकारी आवास भी है जिसके लिये शायद यह शपथ पत्र पड़ता है कि प्रार्थी के नाम पर कोई अपना निजी आवास नहीं है। इस परिप्रेक्ष में हरी विश्राम भवन को लेकर आयी सूचना का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है।

नगर निगम आयुक्त द्वारा 31-12-2015 को अतिरिक्त सचिव शहरी विकास विभाग को लिखे पत्र के मुताबिक पार्किंग फ्लोर की कोई योजना न तो भेजी ही गयी थी और न ही स्वीकृत की गयी है। इसी पत्र में इनके द्वारा एक और मंजिल का निर्माण कार्य शुरू कर दिये जाने का उल्लेख जिसकी स्वीकृति नहीं है। इस अवैधता पर इनको नोटिस जारी किये जाने का भी जिक्र है। पत्र में इनके खिलाफ निगम आयुक्त के अदालत में इस अवैध निर्माण को न गिरने पर कारवाई चलाने की भी उल्लेख है। इस पत्र से पहले भी इन्हें छठी मंजिल को गिराने के आदेश दो बार नगर निगम से 2014 और 2015 में जारी हुये हैं।

नगर निगम द्वारा भेजे गये दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस भवन की पांचवी और छठी मंजिल को लेकर अवैधता के नोटिस इन्हें भेजे गये थे। इसको लेकर निगमायुक्त की अदालत में कारवाई चलने का भी विवरण है। लेकिन नगर निगम से 18-10-2023 को यह पूछा गया था कि क्या यह भवन आवासीय अनुमोदित है या व्यवसायिक। अब जनवरी 24 में आये जवाब में नगर निगम का इस पर मौन यही इंगित करता है कि यह मामला अभी भी लंबित चल रहा है या नगर निगम किसी दबाव में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहा है। ऐसे में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि जिस भवन के निर्माण पर अवैधता के आरोप लगाते हुये नगर निगम उसे तोड़ने का नोटिस दे रहा हो क्या उसी भवन की उन्हीं मंजिलों में सरकारी कार्यालय खोला जा सकता है।

यह है दस्तावेज

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA
MCS/COMM/ 1439/Sa/15- 7790-791 DATED 31-12-15

Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla

To

The Additional Chief Secretary (UD) to the
Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2

Subject:- Regarding approval of Revised/completion plan

Sir,

With reference to your office letter No.UD-B(14)-5/2014 dated 14.12.2015 vide which the copy of letter received from Dr. Rachna Gupta, Gupta Building, Longwood Shimla was forwarded to this office along with the request to examine the matter and to send comments and action taken report to your office immediately.

In this connection it is intimated that Dr. Rachna Gupta and Sh. Praveen Gupta submitted the Revised cum Completion plan of 4+parking floor on khasra Nos. 658/575 & 659/575 at Shiv Nagar, Panthaghati. The case has been examined and observed that :-

- The initial proposal was approved for 4+parking floor by SADA New Shimla vide order No.537(SADA) dated 26.08.2006.
- The applicants resubmitted the revised drawings for two blocks and same was sanctioned by M.C. Shimla vide Commissioner's order No.241 (AP) dated 15.07.2010.
- The Revised cum Completion plan for single block existing at site was approved vide Commissioner's order No.164 (AP) dated 01.08.2013 showing first floor, second floor & third floor as complete and internal proposal for ground floor a/w sloping roof and closed basement. It is pertinent to mention here that initial single dwelling units on each floo was approved and no proposal for parking floor was submitted and was neither approved.
- However, the complaint was received that the applicants have started the construction of one more floor above the already approved structure and accordingly notice under section 254(1) of H.P.M.C. Act, 1994 was issued on 05.09.2014. Since the applicant did not stopped the construction work the notice under section 253 and 242 of H.P.M.C. Act, 1994 was issued and presently the proceedings against applicants are processed in the court of Commissioner, M.C. Shimla.
- Now the applicants have submitted the completion plan of their building showing two dwelling units in each floor above an additional floor having height of 3.00 mtr which is above the road level thus violating the regulations regarding valley view. It is pertinent to mention here that proceedings of this unauthorized construction are presently processed in the court of Commissioner, M.C. Shimla for your perusal and further necessary action in the matter.

Yours faithfully,

(Pankaj Rai)
Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla

Copy to Dr. Rachna Gupta, Gupta Building, Longwood, Shimla for information.

Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla

No. MCS/AP/6629/Mukhya/2023 345 Dated: 10-01-2024

From
Public Information Officer
-Cum-Architect Planner,
M.C.Shimla

To
Sh. Dev Ashish Bhattacharya,
R/o B-5, Pocket 7, Block 54,
Kendriya Vihar II, Sector-82,
Noida, UP-201304
Mob. 9810108363

Subject: - Information under RTI Act 2005.

In continuation to this office letter No. MCS/AP/6629/Mukhya/2023 dated 03.01.2024 and in compliance to the order passed by Ld. First Appellate Authority Cum-Joint Commissioner, M.C. Shimla on 12.12.2023 received on this office on dated 28.12.2023. It was come to the notice of this office from the social media, News paper and a representation received in this office on dated 06.01.2024 from the owner of this building that the building whose information is sought by you is existing in Panthaghati and Mehli area. Subsequently this application was sent to concerned Junior Engineer to ascertain the name and number of the file pertaing to this building. Concerned Junior Engineer and above mentioned representation ascertained that this building belongs to Sh. Parveen Gupta & Smt. Rachna Gupta whose file No. 2781/09/2021. Therefore requisition was sent to record room to send this file to A.P. branch & the said file is received from record keeper on 08.01.2024. In this regard, pointwise information desired is as under:-

1. As per available record information sought by you in this point. Kh. Nos. of said building is Block No. I 575/3 & 575/4 old, 658/575, 659/575 New, Kh. Nos. of Block No.-II is 575/3 & 575/4 OLD, 658/575 and 659/575 New at Hari vishram, Mohal Shiv Nagar
2. As per available record information sought by you in this point. It is intimated that Revised-cum completion house plan of said building was approved for residential purpose block-I vide order No. 312 (AP) dated 31.08.2016 7 & BLOCK-II vide order No. 103 (AP) dated 18.05.2020.
3. As per available record detail of ownership of the said building is in the name of Sh. Parveen Gupta & Smt. Rachna Gupta on above mentioned Khasara Nos. at Hari Virsham at Mohal Shiv Nagar, Panthaghati.
4. As per available record certified copied of all objections, clearances, correspondences related to the lawful construction norms etc are enclosed herewith containing page No. 1 to 202
5. As per available record copies of violations, building plan are enclosed herewith containing page No. 203 to 212.
6. Correspond received through Email was received on this office Dy. / No. 01.egov/2024 dated 01.01.2024 and reply was furnished on dated 03.01.2024.

(Md. Ali Sheikh)
Public Information Officer,
-Cum- Architect Planner,
M.C. Shimla
Ph.No.0177-2802778